U;k;ky; fMohtuy dfe'uj] tk/kiqj
ihBklhu vf/kdkjh ¼ MkW0 jkts'k 'kekZ] vkbZ-,-,l-

foHkkxh; vihy l[;k 06@2018

vihykUVl	बनाम	**jLikWUMUVl**
राणाराम, तत्कालीन वरिष्ठ लिपिक, तहसील पचपदरा, बाडमेर हाल– सेवानिवृत।		1. जिला कलेक्टर,बाडमेर। 2. तहसीलदार, पचपदरा, बाडमेर।

विभागीय अपील अन्तर्गत नियम 22 राजस्थान असैनिक सेवायें (वर्गीकरण, नियम एवं अपील) नियम 1958 जिला कलेक्टर, बाडमेर के द्वारा अपीलान्ट को निलम्बन किये जाने बाबत पारित आदेश क्रमांक कार्मिक/2013/1720 दिनांक 10.01.2014

mifLFkfr%&&

1. अपीलान्ट स्वयं उपस्थित।
2. विभागीय पैरोकार तहसीलदार, पचपदरा, उपस्थित हुए।

fu.kZ;

दिनांकः जनवरी, 2021

1. अपीलान्ट कार्मिक के द्वारा यह विभागीय अपील जिला कलेक्टर बाडमेर के आदेश दिनांक 10.01.2014 जिसके द्वारा अपीलान्ट को निलम्बित कर दिये जाने पर, उक्त आदेश के विरूद्ध न्यायालय हाजा के समक्ष राज0 असैनिक सेवाये नियम 1958, के नियम 23 के तहत दिनांक 03.05.2018 को प्रस्तुत की गई है। प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर जिला कलेक्टर, बाडमेर से अपील पर उनकी बिन्दूवार टिप्पणी एवं अपीलाधीन आदेश से सम्बन्धित मूल अभिलेख पत्रावली को तलब किया गया।

2. हमने अपीलान्ट एवं विभागीय पैरोकार को व्यक्तिगत रूप से सुना गया। अपीलान्ट ने दौरान सुनवाई अपील के सम्बन्ध में यह कथन किया कि उप शासन सचिव,वित विभाग के द्वारा तत्कालीन पदस्थापित/कार्यरत पंजीयन अधिकारियों /पंजीयन लिपिकों के दायित्व व शक्ति के मुताबिक अलग–अलग उत्तरादायित्व निर्धारित करते हुए दो अलग से आदेश जारी किये गये है। जिसके पश्चात वित विभाग के प्रस्तावों की वैधानिकता की जॉच सीसीए नियम 16 के तहत निहित प्रावधानों के अनुरूप किये वगैर उनकी हुबहु नकल करते हुए जरिये ज्ञापन क्रमांक 1848 दिनांक 17.1.2014 अपीलान्ट एवं अन्य सहकार्मिक को जारी किये

गये। जबकि आलौच्य अवधि वर्ष 2013 में निरीक्षण के समय लिपिक विशनाराम एवं भीखाराम वरिष्ठ लिपिक कार्यरत थे और प्रस्तावित आरोप पत्रों में वर्णित दस्तावेजों के पंजीयन रजिसटर अनुसार समस्त हस्तलिपि विशनाराम तत्कालीन लिपिक अभिलिखित है। अपीलान्ट के हाथ का एक भी इन्द्राज नहीं था। जिला कलेक्टर बाडमेर द्वारा अपीलान्ट को दोहरा प्रस्तावित आरोप पत्रों में वर्णित दस्तावेजों के अनुसार चैक लिस्ट व कम्पयूटर वैल्यूशन रिपोर्ट, व पंजीयन रजिस्टर में परिपूर्ण पूर्ण मुद्रांकित दस्तावेज में प्रस्तुतीकरण की कार्यवाही व इन्दाज श्री विशनाराम व0 लिपिक के हाथ से अंकित है। चैक–लिस्ट की पूर्ति/रिर्पोटिंग आदि में सम्बन्धित लिपिक भीखाराम व0 लिपिक तथा कम्पयूटर वैल्यूशन रिपोर्ट सुखदेव एलआरसी पटवारी द्वारा तैयार की गई थी तत्पश्चात पंजीयन अधिकारी ताराचन्द वैंकट द्वारा हस्ताक्षर किये जाकर अभिलेख सम्पादित हुए है। ऐसे में अपीलान्ट के द्वारा कोई कृत्य नहीं किया गया है। अतः आरोप पत्रों की कार्यवाही प्रारम्भ से ड्रॉप की जावें। साक्ष्य अधिनियम के तहत प्राथमिक साक्ष्य दस्तावेज सुसंगत साक्ष्य की श्रेणी में नहीं माने जा सकते है ऐसे में मौखिक करार/ज्ञापन की श्रेणी में आने से सभी आधारहीन संव्यवहार यथा निलम्बन एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही आदि की जाना अपवर्जन की श्रेणी में आता है। इसके अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय द्वारा साढे तीन वर्ष से अधिक समय तक भी प्रस्तावित आरोप पत्रों पर किसी प्रकार का निर्णय नहीं लेना प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों के विपरित है जबकि सीसीए रूल्स में प्रकरण निस्तारण की तय नियत अवधि मात्र तीन माह ही निर्धारित है।

3. अपीलान्ट ने यह भी कथन कियाकि दोहरें आरोपों से पिडित कार्मिक अपीलान्ट द्वारा मामले में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एसबी सिविल याचिका संख्या 5676/2015 में पारित निर्णय दिनांक 26.5.2015 के क्रम में निलम्बन आदेश के विरूद्ध सक्षम ऑथेरिटी को कन्सीडर व डिसाइड हेतु 06 सप्ताह का समय निर्धारित किया गया था। मगर सक्षम आथेरिटी जिला कलेक्टर बाडमेर द्वारा उक्त आदेश की पालना साढे तीन वर्ष से अधिक समय गुजर जाने के एवं कार्मिक की सेवानिवृति दिनांक 31.7.2017 को हो जाने के बावजूद भी नहीं की गई है। अतः दोहरे आरोपों से पिडित निर्दोष कार्मिक अपीलान्ट के विरूद्ध जारी निलम्बन आदेश दिनांक 10.1.2014 को प्रारम्भ से ही निरस्त/अपास्त करवाने का आदेश प्रदान करावें। साथ ही सेवानिवृत कार्मिक को विभागीय अपील के अन्तर्गत

सेवानियमों के निम्न देय परिलाभ देने का आदेश जारी करावें। अपीलान्ट की सेवानिवृति दिनांक 31.7.017 को हो गई है उसके उपरान्त भी अभी तक कोई सेवानिवृति परिलाभ तथा पेन्शन परिलाभ नहीं मिले है जिससे अपीलान्ट को अपना व परिवार का भरण पोषण मे विकट समस्या का सामना करना पड रहा है। अतः अपीलान्ट की अपील को स्वीकार करते हुए निलम्बन आदेश को प्रारम्भ से निरस्त किया जावे तथा सभी परिलाभ देय करने का आदेश प्रदान करावें।

4. प्रत्युतर में विभागीय पैरोकार तहसीलदार पचपदरा ने अपीलान्ट की अपील पर जिला कलेक्टर बाडमेर द्वारा प्रेषित टिप्पणी को दोहराते हुए निवेदन किया कि श्रीमान जिला कलेक्टर बाडमेर के आदेश दिनांक 10.1.2014 को अपीलान्ट कार्मिक को निलम्बित किया गया है वो उचित होने से बहाल रखा जावें। क्योंकि उप सचिव, वित विभाग, जयपुर के पत्र दिनांक 10.1.2014 के द्वारा जमीनों की खरीद फरोख्त एवं पंजीयन के सम्बन्ध में की गई जॉच में प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने पर इन्हें अविलम्ब निलम्बित कर इनका मुख्यालय राजस्व मण्डल अजमेर किया गया एवं इनके विरूद्ध सीसीए रूल्स 16 के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की गई थी। तत्पश्चात जिला कलेक्टर बाडमेर के आदेश दिनांक 25.2.2016 के द्वारा विभागीय कार्यवाही विचाराधीन रखते हुए अपीलान्ट कार्मिक को निलम्बन से बहाल किया जाकर इनका पदस्थापन तहसील कार्यालय धोरीमन्ना में किया गया। तथा उपखण्ड अधिकारी, बाडमेर को जिला कलेक्टर बाडमेर के आदेश दिनांक 12.6.2015 द्वारा विभागीय जॉच सम्पादित करने हेतु जॉच अधिकारी नियुक्त किया गया, जिनके द्वारा दिनांक 5.2.2016 को जॉच प्रतिवेदन पेश किया गया। जॉच प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरान्त अपीलान्ट को व्यक्ति सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया एवं जॉच रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट पर लगाये गये आरोप सिद्ध होने पर जिला कलेक्टर बाडमेर के आदेश दिनांक 21.6.2018 के द्वारा अपीलान्ट की दो आगामी वार्षिक वेतनवृद्धियां संचयी प्रभाव से रोके जाने का आदेश पारित किया गया था जिसके विरूद्ध अपीलान्ट के द्वारा श्रीमान के न्यायालय के समक्ष विभागीय अपील प्रस्तुत की जा चुकी है।

5. इसके अतिरिक्त अपीलान्ट कार्मिक को जिला कलेक्टर बाडमेर के आदेश दिनांक 10.1.2014 की अपील दिनांक 3.5.2018 को की गई है जबकि अपीलान्ट को आदेश दिनांक 25.2.2016 के द्वारा निलम्बन से बहाल कर दिया गया था ऐसे में अपीलान्ट के निलम्बन का आदेश दिनांक 10.1.2014 अपील

प्रस्तुत की दिनांक 3.5.2018 को प्रभाव में ही नहीं था ऐसी स्थिति में अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत विभागीय अपील आधारहीन एवं सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है जो खारिज की जावे।

6. हमने अपीलान्ट एवं विभागीय पैरोकार की ओर से प्रकट किये गये तथ्यों पर मनन किया तथा अपीलान्ट की अपील पर जिला कलेक्टर बाडमेर द्वारा प्रेषित टिप्पणी का प्रस्तुत अभिलेखों का अवलोकन किया जिससे यह पाया गया कि अपीलान्ट के द्वारा जिला कलेक्टर बाडमेर के द्वारा दिनांक 10.1.2014 को उन्हें निलम्बित कर दिये जाने के विरूद्ध दिनांक 3.5.2018 को न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट के द्वारा निलम्बन आदेश के विरूद्ध उक्त अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब के सम्बन्ध में ऐसे कोई तथ्य/साक्ष्य न्यायालय हाजा के समक्ष प्रदर्शित नहीं किये गये है जिससे अपीलान्ट की अपील को अन्दर म्याद पेश किया हुआ माना जा सके अथवा स्वीकार किया जा सके। इस प्रकार अपीलान्ट की अपील पूर्ण रूप से म्याद बाधित पेश की गई है। इसके अतिरिक्त अपीलान्ट के द्वारा अपने निलम्बन आदेश दिनांक 10.1.2014 के विरूद्ध जो अपील दिनांक 3.5.2018 को पेश की गई है, उस समय तक दिनांक 22.2.2016 को अपीलान्ट को निलम्बन से बहाल करते हुए उनका पदस्थापन तहसील कार्यालय धोरीमन्ना में किया जा चुका था और तत्समय इनके विरूद्ध विभागीय जॉच भी विचाराधीन होना ज्ञात होता है। अपीलान्ट द्वारा अपने निलम्बन आदेश को निरस्त करवाने हेतु भी प्रस्तुत अपील में किसी प्रकार के साक्ष्य अथवा लिखित कथन दर्शा नहीं पाये है। इस प्रकार उल्लेखित समस्त तथ्यों पर मनन करने के उपरान्त हम यह समझते है कि अपीलान्ट की अपील अस्वीकार किये जाने योग्य है।

7. अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट की प्रस्तुत अपील सारहीन एवं आधारहीन होने से खारिज की जाती है। निर्णय आज दिनांक 3 फरवरी, 2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

¼Mk0 jkts’k 'kek½
fMohtuy dfe'uj
tks/kiqj